International Journal of Scientific Research in Science and Technology
© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

भारतीय वायु सेना में महिलाओं को मिलता सम्मान

जय शंकर कुमार

Vill +PO Gurmiya
Dist Vaishali
Bihar

स्वतन्त्रता हासिल करने के बाद विविध क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को मिली पहचान अपेक्षाकृत बेहतर रही है। उद्योगों, व्यापार एवं अन्य क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं की संख्या एवं भूमिका बढ़ने से यह तथ्य उभरकर सामने आ रही है कि भारतीय समाज में महिलाओं की भागीदारी एवं तरक्की के रास्ते बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों के साथ–साथ राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ने की उपेक्षा भले ही पूरी न हुई हो, लेकिन प्रतिवर्ष उनकी संख्या में बढ़ोतरी जारी है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर काफी उतार चढ़ाव आए हैं। इसके बावजूद महिलाओं ने देश के हर शिखर पद पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी देश की पहली प्रधानमंत्री बनीं, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति व भारतीय सैनिक बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं। इसी तरह कल्पना चावला, इन्दिरा नूई, किरण बेदी, किरण मजूमदार आदि को समाज के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के बढ़ते सबूत के रूप में देखा जा सकता है।

अब इसी क्रम में एक नया नाम और जुड़ गया है। फ्लाइंग ऑफिसर कविता बराला भारतीय वायु सेना की पहली महिला नेविगेटर बन गई हैं। पूरे देश ने वायु सेना की इस पहली महिला नेविगेटर को वर्ष 2009 के गणतंत्र दिवस पर वायु सेना की मार्च करने वाली टुकड़ी में गर्व से राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति व भारतीय सैनिक बलों की प्रथम महिला सर्वोच्च कमांडर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को सलामी देते हुए देखा। इस उपलब्धि से वायु सेना भी अपने को गर्वान्वित महसूस कर रही है। कविता बराला ने गणतंत्र दिवस से लगभग दो माह पूर्व ही एयरफोर्स अकादमी डुंडीगल से अपना प्रशिक्षण कोर्स पूरा किया है। देश की गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर में जन्मी कविता बराला इस समय एयर फोर्स स्टेशन आगरा में वायु सेना के कामकाज की रीढ़ माने जाने वाले परिवहन विमान ए.एन. 32 में छाताधारी ऑपरेशनों का प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। नेविगेटर के नाते कविता बराला को परिवहन विमान से छाताधारी सैनिकों के कूदने के समय का विश्लेषण एवं फैसला करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद उन्हें बम गिराने का भी प्रशिक्षण मिलेगा। आगे चलकर वे लड़ाकू विमान में शस्त्र प्रणाली ऑपरेटर भी बन सकती हैं। उनके चयन से उत्साहित होकर अन्य दो महिला ने भी नेविगेटर बनने का निर्णय लिया है जो उनके बाद के बैच में अपनी दीक्षा पूरी कर रही हैं।

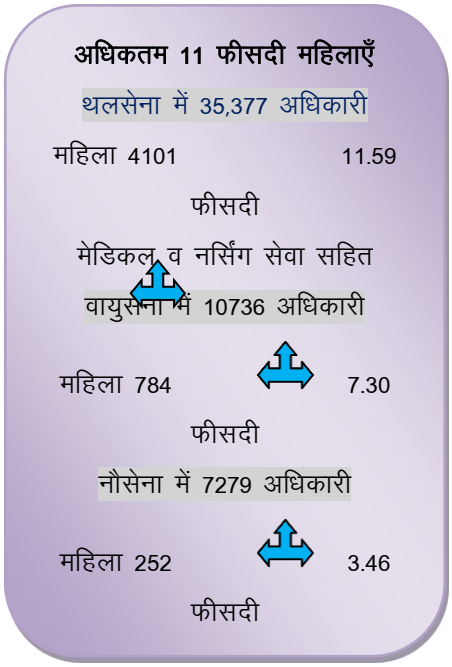

इससे पहले भी रक्षा क्षेत्र में कई महिलाएं ऊँची उड़ान भर शिखर की तरफ पहुँचने में सफल होकर अपना परचम लहराया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओ में महिलाएँ एयर मार्शल और लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुँच चुकी हैं। भारतीय वायु सेना में एयर वाइस मार्शल पदमावती बंदोपाध्याय एयर मार्शल की रैंक तक पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इसी तरह पुनीता अरोड़ा भारतीय

थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुँचने में सफलता हासिल करने वाली प्रथम महिला हैं। भारतीय सेना में आने वाली प्रथम भारतीय प्रिया झिंगन को भी बाद में कमीशन प्राप्त हुआ था। वायु सेना में आज महिलाएं पायलट के पदों को सुशोभित करते हुए परिवहन विमानों तथा हेलिकॉप्टरों को उड़ा रही हैं। नौ सेना में सबसे पहले सन् 1997 में आइ.एन.एस. ज्योति पर सब लेफ्टिनेंट राजेश्वरी कोरी व सर्जन कमांडर विनीता तोमर की तैनाती हुई थी।

रक्षा क्षेत्र के सेनांगो में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद उन्हें पुरूषों के समान अधिकार न मिल पाने के कारण यह मामला नई दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका के माध्यम से पहुँच गया। इस मामले पर 23 नवम्बर, 2008 को निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय ने लिंग समानता पर जोर देते हुए केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि रक्षा बलों में सेवारत महिला अधिकारियों को बिना किसी विलंब के स्थाई कमीशन दिया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने यह दावा किया था कि भविष्य में चुनी जाने वाली महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने का निर्णय लिया जा चुका है। इस पर खण्डपीठ ने कहा कि यह तीनों सेनाओं की ओर से उठाया गया हितकर कदम है, लेकिन अब भी यह हमारी अपेक्षाओं को पूरी करने में सफल नहीं हुआ है। इसलिए जो महिला अधिकारी वर्तमान में कार्य कर रही हैं इनके लिए यह नीति लागू क्यों नहीं हो सकती ? इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि रक्षा क्षेत्र के सेनांगों में कार्यरत् महिला अधिकारियों को भी स्थाई कमीशन का लाभ अब शीघ्र मिलेगा।

इस याचिका में कहा गया था कि सेना में एस.एस.बी. के माध्यम से जो नियुक्तियाँ होती हैं उनमें 10 साल की सेवा के बाद महिलाओं को हटा दिया जाता है, जबकि पुरूषों को नियमित कर दिया जाता है। इससे महिलाओं को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कॉल व जस्टिस मूलचंद गर्ग की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 5 मई, 2008 को निर्देश दिया था कि समानता के अधिकार के तहत् केन्द्र सरकार व सेना के तीनों अंगों के सेनाध्यक्ष महिलाओं को स्थाई रूप से कमीशन देने पर गहराई से विचार करें और इसकी रिपोर्ट 12 दिसम्बर 2008 तक कोर्ट के समक्ष सौंप दी जाए तब न्यायालय कोई निर्णय लेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के मद्देनजर तीनों सेनाध्यक्षों की समिति ने महिलाओं को स्थाई कमशिन दिए जाने के मुद्दे पर अपनी राय रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को 24 सितम्बर 2008 को सौंप दी थी। यह महत्वपूर्ण फैसला पिछले काफी दिनों से लंबित था। सैन्य प्रमुखों की समिति ने सशस्त्र बलों में शिक्षा और न्यायिक शाखा में महिलाओं को पुरूषों की तरह स्थाई कमीशन देने की सिफारिश की थी। लेकिन साथ में यह भी कहा था कि वे लड़ाकू भूमिका में नजर नहीं आएंगी। समिति का मानना था कि महिलाओं को लड़ाई के मैदान में भेजना उनकी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। दूसरे देश की संस्कृति के हिसाब से महिलाओं को दुश्मन से लड़ने भेजना अथवा दुश्मन द्वारा पकड़ा जाना भी ठीक नहीं होगा।

गौरतलब है कि अभी तक महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में अस्थाई तौर पर ही लिया जाता था और उनकी नौकरी 15 वर्षो से कम होती है। इसी नीति का परिणाम यह था कि महिला सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से ऊपर के दर्जे तक नहीं पहुँच पाती थीं। अब सरकार के नए निर्णय व न्यायालय के आदेश के बाद महिलाओं के सेना में कार्य करने के तरीके में जबर्दस्त उत्साह की बढ़ोतरी होगी और यह निर्णय महिलाओं के उच्च पदों पर पहुँचने के लिए एक क्रान्तिकारी कदम माना जाएगा। अभी तक महिलाओं को स्थाई कमीशन के जरिए परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर के पायलट के तौर पर सैन्य बलों में नियुक्ति मिलती रही है। इसके अलावा मेडिकल, डेंटल व नर्सिग में स्थाई कमीशन दिया जाता है। अब महिलाओं को सेना की न्याय संबंधी जज एडवोकेट जनरल तथा शिक्षा जैसी शाखाओं में स्थाई नियुक्तियाँ की जा सकती हैं। इसके अलावा सिग्नल, एयर डिफेंस, आर्मी तथा सप्लाई जैसी विंग में उन्हें अवसर प्राप्त होगें।

इस फैसले के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी जैसे संस्थानों के द्वार भी महिलाओं के लिए खुल जाएंगे। पुरूषों को सेना के लिए प्रशिक्षित करने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महिलाओं को प्रशिक्षित करने को तैयार है। राष्ट्रीय रक्षा

अकादमी की 114वीं पासिंग आउट परेड के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कमांडेंट एयर मार्शल टी.एस. रंधावा ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महिला कैडेट्स का प्रशिक्षण देने को तैयार है। इस संबंध में निर्णय लिए जाने के बाद हमें आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। अब अप्रैल 2009 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में महिलाओं की अधिक संख्या में भर्ती होगी और महिला सैन्य अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र चेन्नई में महिला कैडेट्स के लिए पुरूषों के समान 49 सप्ताह के प्रशिक्षण की योजना की तैयारी पूरी कर ली गई । इस तरह सन् 2013 तक स्थाई कमीशंड अधिकारियों का पहला बैच तैयार होगा। इसके लिए जिन महिलाओं में साहस है, जोश है और देश के लिए मर मिटने का जज्बा , त्याग व बलिदान भावना है वे अब रक्षा क्षेत्र के सेनांगों में कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि सेना में अधिकारियों के स्वीकृत 46615 पदों में से 14448 पद खाली पड़े हैं। अब महिलाओं को स्थाई कमीशन दिए जाने से इन रिक्त पदों की न केवल भरपाई हो सकेगी, बल्कि महिलाओं के रूप में श्रेष्ठ प्रोफेशनल्स भी सशस्त्र सेनांगों को प्राप्त हो सकेंगे। रक्षा मंत्रालय के सूत्रो के मुताबिक भारतीय रक्षा बलों के जल, थल तथा वायु सेनांगों में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं का औसत मात्र तीन प्रतिशत है जिसके अब बढ़ जाने की प्रबल संभावना है। लेकिन यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि सेना महिलाओं के लिए कोई विशेष आरक्षण या पुल कोटा नहीं देगी। स्थाई कमीशन के लिए महिलाओं को शारीरिक मजबूती का भी पूरा प्रमाण देना होगा। वैसे महिलाएं टेलेन्ट के मामले में प्रत्येक क्षेत्र में खुद को बेहतर साबित कर चुकी हैं। इसलिए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सशस्त्र बलों में भी वे बेहतर कर्मी सिद्ध होंगी तथा सैन्य क्षेत्र में अपना नाम रौशन करेंगी।

इस समय सशस्त्र बलों में 1989 महिलाएँ हैं। यदि इस औसत के रूप में देखा जाए तो थल सेना में 11.59 प्रतिशत, वायु सेना में 7.30 प्रतिशत तथा नौ सेना में 2.86 प्रतिशत महिलाएँ हैं। इसके अलावा सेना की मेडिकल कोर में 13.58 प्रतिशत और नर्सिंग सेवा में शत प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत हैं। अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो 35377 सैन्य अधिकारियों वाली थल सेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1014 है। इसमें चिकित्सा एवं सेवा कोर की महिलाएँ शामिल नहीं हैं। इसी तरह वायु सेना में लगभग 10736 पुरूष अधिकारियों की तुलना में 784 महिला सैन्य अधिकारी तथा नौ सेना के लगभग 7297 पुरूष अधिकारियों की तुलना में 252 महिला सैन्य अधिकारी हैं। अब इस नए फैसले से आने वाले दिनों में महिलाओं का भर्ती प्रशिक्षण बढ़ने की उम्मीद है।

विदित हो कि सशस्त्र सेनाओं में शार्ट सर्विस कमीशन के जरिए महिलाओं की भर्ती शुरू हुई थी। थल सेना में महिलाएँ आज आई टी, मेडिकल, संचार, डाक सेवा, जज एडवोकेट जनरल, सेना शिक्षा कोर, सप्लाई कोर, आर्डनेंस कोर, तोपखाना रेजीमेंट, आर्किटेक्ट, विद्युत् व यांत्रिक, इंजिनियर कोर, सिग्नल कोर तथा सूचना कोर में कार्य कर रही हैं। इस तरह महिला सेनानी तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनो तरह के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सेना की चिकित्सा शाखा में कार्य करते हुए पुनीता अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुँची और अपनी सैन्य सेवा के दौरान 15 पदकों से सम्मानित हुई। वायु सेना में महिलाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रत्येक क्षेत्र में पहुँची चुकी हैं। यहाँ उनकी नियुक्ति उड़ान, तकनीकी, जमीनी क्षेत्र, आपूर्ति विभाग एवं शिक्षा कोर में दी जाती है। वायु सेना अकादमी में महिलाओं के लिए 15 फीसदी आरक्षण है। महिला पायलटो को अभी परिवहन विभाग एवं हेलीकॉप्टर उड़ाने की इजाजत है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें लड़ाकू विमान उड.ाने की इजाजत मिल सकती है। पदमावती बंद्योपाध्याय वायु सेना की पहली एयर मार्शल बन चुकी हैं। इसी तरह नौ सेना में महिलाएं वायु यातायात नियंत्रण, शिक्षा कैडर, लॉ एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। स्थाई कमीशन मिलने की स्थिति में महिलाएं रक्षा क्षेत्र में और आगे तक जा सकेगी।

जहाँ तक महिलाओं की युद्ध में भागीदारी का सवाल है तो महिलाओं के लिए युद्ध भूमि में दुश्मन की टुकड़ीयों का सामना करना अत्यंत कठिन, चुनौतिपुर्ण एवं जोखिमभरा होता है, क्योंकि यदि उन्हें पकड़ लिया गया तो दुश्मन के अत्याचारों को बर्दाश्त करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। इसलिए उनको समरभुमि के अग्रिम लड़ाकू दलों में नहीं भेजा जाता है और न ही लड़ाई के मोर्चे पर टेंक आदि चलाने का मौका दिया जाता है। इसी तरह वायु सेना में लड़ाकू विमान उड़ाने व नौ सेना में लड़ाकू युद्धपोतों पर जाने

की अनुमति महिलाओं को नहीं दी गई है। अब स्थाई कमीशन दिए जाने के बाद महिला सैन्य अधिकारियों को युद्ध के मोर्चे पर जाने के अवसर दिए जा सकते हैं। इसके लिए महिला सैन्य कर्मियों को अब मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। युद्ध क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत कुछ उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा, क्योंकि उन्हें लड़ाकू भूमिका मिलने पर उनके सामने युद्ध का अग्रिम मोर्चा सँभालना पड़ सकता है।

रक्षा क्षेत्र के सेनांगों में ही नहीं, बल्कि रक्षा वैज्ञानिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ गई है और मिसाइलों के विकास में उनका अहम योगदान जारी है। गत वर्ष 7 मई 2008 को अग्नि–3 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अग्नि–2 ए मिसाइल को 2500 किमी की लम्बी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बनाने के कार्यक्रम की मुख्य जिम्मेदारी महिला वैज्ञानिक डॉ. टेसी थॉमस को सौंपकर भारत सरकार ने महिलाओं की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती क्षमता एवं योग्यता का एक खास उदाहरण संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस तरह मिसाइल क्षेत्र में पहली बार कोई महिला किसी मिसाइल प्रोजेक्ट की प्रमुख बनी। स्पष्ट है कि अब देश की एक मिसाइल कार्यक्रम की कमान महिला वैज्ञानिक डॉ टेसी थॉमस के हाथ में है और उन्हें देश की पहली मिसाइल वूमैन के नाम से जाना जाएगा।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में इस समय लगभग 200 महिला वैज्ञानिक एवं तकनीशियन हैं जो मिसाइल टेंक, अधुनातन हथियार एवं प्रतिरक्षा साजो समान के विकास में कुशलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। तकरीबन 25 महिला वैज्ञानिक अग्नि–3 मिसाइल परियोजना में अपना योगदान दे रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाएं मिसाइलों के विकास जैसे महत्वपूर्ण तथा अम्यंत विशिष्ट क्षेत्र में विशेष भागीदारी निभा रही हैं। डॉ टेसी थॉमस एवं उनकी टीम को प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह 12 मई, 2008 को सम्मानित कर चूके हैं। त्रिशूर इंजीनियरिंग महाविद्यालय कालीकट से बी.टेक एवं मिसाइलों के क्षेत्र में पूणे विश्वविद्यालय से एम. टेक करने वाली डॉ टेसी थॉमस सॉलिड सिस्टम प्रोपेलेंट का विशेषज्ञ हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विविध क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान के बाद अब राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका यह प्रेरणा देती है कि आने वाले दनिो में इस दिशा में देश की नव–युवतियों की भागीदारी और बढ़ेगी।